

722 निदेश  
Smt. V. L

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक (बेसिक),  
उ०प्र०, निशातगंज,  
लखनऊ।

सेवा में,

एस०आई०ओ०,  
एन०आई०सी०,  
तृतीय तल, योजना भवन,  
लखनऊ।

354  
27.1.18

पत्रांक: शि०नि०(बे०)/ 66328-61282/2017-18

दिनांक: 23 जनवरी, 2018

विषय: निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) के अन्तर्गत अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को कक्षा-1/पूर्व प्राथमिक कक्षा में ऑनलाइन प्रवेश हेतु प्रक्रिया निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-3087(1)/79-5-2012-29/2009 टी०सी०-11 दिनांक 03.12.2012, शासनादेश संख्या-538/79-6-2013 दिनांक 20.06.2013, शासनादेश संख्या-266/79-5-2016-29/2009 टी०सी०-11 दिनांक 24.02.2016, शासनादेश संख्या-582/79-5-2016-29/2009 टी०सी०-11 दिनांक 03.03.2016 एवं शासनादेश संख्या-499/79-5-2016-29/2009 टी०सी० दिनांक 11.05.2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तदक्रम में सचिव, मुख्यमंत्री द्वारा सचिव, बेसिक शिक्षा को दिनांक 28.09.2016 को पत्र के माध्यम से निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की 12(1)(ग) के अन्तर्गत प्रवेश प्रक्रिया को पूर्णतः ऑनलाइन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में सचिव, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अपने पत्र संख्या-सी०एम० 78/79-6-2016 दिनांक 18.10.2016 द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की 12(1)(ग) के अन्तर्गत आस-पड़ोस के गैर-सहाय्यतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में "अलाभित समूह" और "दुर्बल वर्ग" के बच्चों को कक्षा 1/पूर्व प्राथमिक कक्षा में प्रवेश हेतु प्रक्रिया को पूर्णतः ऑनलाइन किये जाने हेतु शिक्षा निदेशक (बेसिक) को निर्देशित किया गया था।

उक्त के क्रम में शासन का शासनादेश संख्या-78/79-6-2017 दिनांक 20.01.2017 निर्गत किया गया है, जिसमें उक्त प्रक्रिया को ऑनलाइन किये जाने का भी निर्णय लिया गया है, जिसकी प्रति आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु पुष्ठांकित की गयी है। तदक्रम में ऑनलाइन प्रक्रिया को एन०आई०सी० के द्वारा संपादित करने हेतु दिशा-निर्देश निम्नवत् हैं -

1. डाटा फीडिंग एवं फ्रीजिंग -

(क) विद्यालयों सम्बन्धित आकड़ा हेतु यू-डायस डाटा का उपयोग किया जायेगा। ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया को एक वेब पोर्टल के माध्यम से संचालित किया जायेगा। पोर्टल एवं प्रवेश हेतु कम्प्यूटराइज्ड लौटरी ऑनलाइन मॉड्यूल का निर्माण, तकनीकी सहयोग, वेबसाइट होस्टिंग एवं इससे जुड़े समस्त तकनीकी कार्य एन०आई०सी० द्वारा किये जायेंगे। इससे सम्बन्धित व्यय एन०आई०सी० की माँग अथवा तकनीकी सलाह पर सर्व शिक्षा अभियान, उत्तर प्रदेश द्वारा वहन किया जायेगा।

(ख) यदि आवेदन पत्र में मान्यता प्राप्त गैर अनुदानित विद्यालय का अंकन किया गया है, किन्तु वेब पोर्टल पर उस विद्यालय के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है अथवा गलत सूचना दी गयी है, तो इस सम्बन्ध में लॉक व डिजिटल हस्ताक्षरित करने से पूर्व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उक्त सूचना को संशोधित करते हुए विद्यालय के वॉर्ड/ग्राम पंचायत का सही नाम, प्रधानाचार्य का नाम, मोबाइल नं० एवं ई-मेल आई०डी० आदि को सम्मिलित करते हुए डाटा को फ्रीज करेंगे।

(ग) उत्तर प्रदेश निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 में आस-पड़ोस (neighbourhood) के सम्बन्ध में दी गयी परिभाषा के अनुसार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा बच्चों के प्रवेश हेतु कार्यवाही की जायेगी।

(घ) वेब पोर्टल को सुचारू रूप से क्रियान्वयन कराने का समस्त उत्तरदायित्व शिक्षा निदेशक (बेसिक) का होगा।

## 2. आवेदन पत्र का प्रेषण :-

(क) अभिभावकों द्वारा उनके बच्चों के प्रवेश हेतु उक्त सन्दर्भित अधिनियम 2009 की धारा 12-1(ग) के अन्तर्गत वेब पोर्टल पर उपलब्ध ई-फॉर्म के माध्यम से आवेदन पत्र प्रेषित किया जायेगा। वेब पोर्टल पर उपलब्ध user manual में दिये गये निर्देशों के अनुसार आवेदन पत्र भरा जायेगा।

(ख) ई फार्म में अभिभावक वरीयता के क्रम के आधार पर आस-पड़ोस (Neighbourhood) के विद्यालयों का विकल्प (Option) भरेंगे।

(ग) अभिभावकों द्वारा यदि उनके घर के आस-पास कोई विद्यालय है, जिसका विवरण जनपद के आकड़े में उपलब्ध नहीं है, ऐसी स्थिति में अभिभावकों के लिये पोर्टल पर सुविधा होगी, जिसमें वह ऐसे विद्यालय का नाम अन्य विवरण के साथ दर्ज करेंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा पोर्टल पर प्राप्त ऐसे विद्यालयों की प्रमाणिकता की जांच कराकर सही होने की दशा में विद्यालय को मास्टर डाटा में सम्मिलित कराया जायेगा।

(घ) अभिभावकों को ऑनलाईन आवेदन हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा, तथापि यदि किन्हीं कारणों से कतिपय अभिभावकों द्वारा प्रवेश हेतु ऑफ-लाईन आवेदन किया जाता है, तो ऐसे प्राप्त आवेदन पत्रों को सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से सत्यापित कराकर वेब पोर्टल पर अपलोड करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की होगी।

## 3. सत्यापन:-

(क) अभिभावकों द्वारा अपने बच्चों के नामांकन के लिये किये गये आवेदनों की सूची जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को वेब पोर्टल पर उपलब्ध होगी।

(ख) प्राप्त सूची में यदि किसी अभिभावक द्वारा एक बच्चे हेतु एक से अधिक बार नामांकन हेतु आवेदन किया गया है, तो उसके द्वारा आवेदित अन्तिम आवेदन पत्र के आधार पर प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।

(ग) ऐसे आवेदन पत्र जो निरस्त किए गए हों, उनका विवरण पृथक से रखा जायेगा एवं निरस्तीकरण का कारण भी दर्ज किया जायेगा।

## 4. प्रवेश हेतु लॉटरी प्रक्रिया :-

अभ्यर्थियों को विद्यालय का आवंटन जनपद स्तर पर केन्द्रीकृत लॉटरी के आधार पर किया जायेगा। लॉटरी प्रक्रिया निम्नवत् निर्धारित की जाती है:-

(क) सर्वप्रथम प्रत्येक अभ्यर्थी को एक रैंडम लॉटरी नम्बर आवंटित किया जायेगा।

(ख) लॉटरी नम्बर के आरोही क्रम में प्रत्येक अभ्यर्थी को उसकी वरीयता के आधार पर विद्यालय का आवंटन किया जायेगा।

(ग) विद्यालय को रजिस्टर्ड ई-मेल के माध्यम से बच्चों की सूची भेजी जायेगी साथ ही पोर्टल पर स्कूल अपना नाम एवं उसमें प्रवेश प्राप्त करने वाले बच्चों की सूची प्राप्त कर सकता है।

(घ) लॉटरी के उपरान्त चयनित एवं निरस्त अभ्यर्थियों के रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर एस0एम0एस0 के माध्यम से सूचना प्रेषित की जायेगी।

(ङ) लॉटरी की तिथि को लॉटरी संचालित करने की समस्त प्रक्रिया जिलाधिकारी के द्वारा पोर्टल पर लॉगिन के माध्यम से की जायेगी।

## 5. लाटरी के परिणाम के आधार पर विद्यालयों द्वारा प्रवेश की प्रक्रिया:-

(क) अभिभावकों द्वारा बच्चों के प्रवेश हेतु किए गए आवेदन पत्रों में से ऐसे आवेदन पत्र जिनमें अकादमिक सत्र प्रारंभ होने की तिथि (01 अप्रैल) को बच्चों की आयु 03 वर्ष से अधिक एवं 06 वर्ष से कम है, ऐसे बच्चों का नामांकन सम्बन्धित विद्यालय द्वारा पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में सुनिश्चित किया जायेगा, यदि उस विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाएं संचालित होती हों।

(ख) ऐसे बच्चे जिनकी आयु अकादमिक सत्र प्रारंभ होने की तिथि (01 अप्रैल) को 06 वर्ष या उससे अधिक एवं 07 वर्ष से कम है, ऐसे बच्चों का नामांकन सम्बन्धित विद्यालय द्वारा कक्षा-1 में सुनिश्चित किया जायेगा।

- (क) एन0आई0सी0 द्वारा प्रत्येक विद्यालय को एक लॉगिन आई0डी0 (Login ID) एवं पासवर्ड उपलब्ध कराया जायेगा, जिसकी सूचना जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सम्बन्धित विद्यालय को प्रेषित की जायेगी।
- (घ) अभ्यर्थी के विद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया के समय विद्यालय द्वारा पोर्टल पर Login कर अभ्यर्थी का आवेदन नम्बर दर्ज किया जायेगा जिसकी सूचना (OTP/SMS) रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर उपलब्ध होगी। OTP/SMS को अभ्यर्थी द्वारा विद्यालय को दिखाकर उसके प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी एवं अभ्यर्थी से सम्बन्धित समस्त अभिलेख (Document) वेब पोर्टल से डाउनलोड किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त विद्यालयवार प्रवेश की स्थिति पोर्टल पर प्रदर्शित की जायेगी। इस कार्य हेतु एन0आई0सी0 में वांछित तकनीकी सामग्री एस0एम0एस0 पैक, ए0पी0आई0 व इंटीग्रेशन हेतु वांछित तकनीकी सहयोग सेवा प्रदाता के माध्यम से उपलब्ध कराने की व्यवस्था सर्व शिक्षा अभियान द्वारा की जायेगी।
- (ङ) यदि किन्हीं कारणों से विद्यालय द्वारा अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाता है तो उसका स्पष्ट कारण विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा वेब पोर्टल पर सूचित किया जायेगा।
- (च) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सूची का सत्यापन एवं संशोधन करते हुए अपनी संस्तुति के साथ पुनः वेब पोर्टल पर डिजिटल हस्ताक्षर के साथ उपलब्ध करायेंगे।
- (छ) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नामांकन के उपरान्त सम्पूर्ण सूची शिक्षा निदेशक (बेसिक) एवं राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान को उपलब्ध करायी जायेगी, जिसके आधार पर शिक्षा निदेशक (बेसिक) द्वारा विद्यालयों को फीस प्रतिपूर्ति की कार्यवाही करायी जायेगी।
- (ज) प्रत्येक चरण में प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त विद्यालयवार बच्चों की सूची-जन्मतिथिवार, कक्षावार, लिंगवार, वर्गवार (अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग) पोर्टल पर प्रदर्शित की जायेगी। माह अगस्त में उपरोक्तानुसार जनपद की पूर्ण सूची पोर्टल पर प्रदर्शित की जायेगी।

**6. मास्टर डाटा निर्माण व अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों हेतु समय सारिणी:-**

- (क) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा मास्टर डाटा लॉक व डिजिटल हस्ताक्षरित करना-दिनांक 24.02.2017 तक।
- (ख) अभिभावकों द्वारा पोर्टल पर आवेदन में अंकित विद्यालयों, जो पूर्व से डेटा बेस में नहीं हैं, की जांच कराकर मास्टर डाटा में सम्मिलित करना-दिनांक 20.03.2017 तक।
- (घ) प्रवेश हेतु चरण-

चरण	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन (ऑनलाइन/ऑफ लाइन) प्राप्ति की तिथि	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्रों ऑनलाइन/ऑफलाइन का सत्यापन और उन्हें लॉक करने की अन्तिम तिथि।	आवेदन पत्रों के अनुसार प्रस्ताव जिलाधिकारी को प्रस्तुत करने के पश्चात् जिलाधिकारी द्वारा अन्तिम निर्णय(लाट्री) लिये जाने सम्बन्धी कार्रवाई पूर्ण कराने का दिनांक।	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा बच्चों को गैर सहायित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में प्रवेशित कराये जाने का दिनांक।
प्रथम चरण	10 अप्रैल तक	14 अप्रैल	16 अप्रैल	26 अप्रैल
द्वितीय चरण	11 अप्रैल-10 मई	14 मई	16 मई	18 मई
तृतीय चरण	11 मई-15 जून	24 जून	25 जून	01 जुलाई

उक्त के पश्चात् जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रत्येक 15 दिन में प्राप्त आवेदन पत्रों को शासनादेश दिनांक 03.03.2016 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार निस्तारित करते हुए बच्चों का विद्यालयों में

प्रवेश कराया जायेगा। उक्त समय सारिणी में स्थानीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत जिलाधिकारी द्वारा यथोचित परिवर्तन किया जा सकता है।

उक्त के क्रम में आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त दिशा-निर्देशों के क्रम में पूर्व निर्धारित शासनादेशों की वर्णित व्यवस्थाओं के अन्तर्गत प्रवेश प्रक्रिया को सुचारु रूप से सम्पादित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

श्रीमती(रुबी सिंह)  
अपर शिक्षा निदेशक(शिविर)  
कृते शिक्षा निदेशक(बेसिक),  
उ०प्र०, लखनऊ

गुण्डांकन संख्या-शि०नि०(बे०)/ 66378-66782 /2017-18 दिनांक  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. राज्य परियोजन निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उ०प्र० को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अपने स्तर से भी जनपदीय अधिकारियों को प्रवेश हेतु दिशा निर्देश निर्गत कराने का कष्ट करें।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
3. समस्त संयुक्त शिक्षा निदेशक/मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ०प्र०।
4. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ०प्र०।
5. वित्त नियंत्रक, बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
6. वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद।
7. वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक, समस्त जनपद।
8. गार्ड फाईल।

25.1.18  
श्रीमती(रुबी सिंह)  
अपर शिक्षा निदेशक(शिविर)  
कृते शिक्षा निदेशक(बेसिक),  
उ०प्र०, लखनऊ

u